

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना के दिशा-निर्देश

1. जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2016-17 पत्र में उल्लिखित हैं।
2. पान की खेती हेतु प्रति 1500 वर्गमीटर बरेजा निर्माण की लागत एवं बरेजा निर्माण हेतु लगने वाली सामग्री का मानक संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-1)

अनुदान का विवरण-

पान की खेती 1500 वर्गमीटर में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि ₹0 1,51,360.00 का 50% धनराशि ₹0 75.680.00 लाभार्थी कृषक को अनुदान/सहायता संलग्नक-2 मद अनुसार अनुमन्य होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 75.680.00 कृषक अंश होगा। जनपदवार पृथक-पृथक बरेजा निर्माण के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के आधार पर 12 जनपदों में कुल 63 बरेजा का निर्माण कराया जाना है।

लाभार्थियों का चयन-

1. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट www.upagriculture.com पर आन लाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के उपरान्त प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभार्थी पात्र होंगे।
3. लाभार्थी के पास स्वयं का सिंचाई साधन होना अनिवार्य है।
4. पान की खेती में अभिरुचि रखने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र के साथ भू-अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. लाभार्थी कृषक के पास स्वयं का बैंक खाता एवं मोबाइल/फोन न0 होना अनिवार्य है।
7. लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/ राशनकार्ड/आधारकार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।

प्रजातियां एवं निवेशों की व्यवस्था:-

कार्यक्रम के अन्तर्गत पान की देशी, बंगला, कलकतिया, कपूरी, रामटेक, मघई, बनारसी आदि उन्नतशील प्रजातियों की खेती पर अनुदान अनुमन्य होगा। विभाग एक समन्वयक की भूमिका निभाते हुये निर्माण कार्य/निवेश की गुणवत्ता के मानक आदि को उपलब्ध कराते हुये उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का उपाय करेगा। लाभार्थी अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्बन्धित उत्पादकों/संस्थाओं से आवश्यक निवेश स्वयं क्रय करेगा।

प्रचार-प्रसार भ्रमण/प्रशिक्षण गोष्ठी-

इस कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक है कि कृषकों को पान की खेती की तकनीकी जानकारी के लिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये। तकनीकी जानकारी की सुलभता हेतु कृषकों को तकनीकी साहित्य भी दिया जायेगा। पान की खेती करने वाले कृषकों/लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों की फोटोग्राफी अवश्य करायी जाये।

प्रशिक्षण हेतु विभागीय शोध केन्द्रों पर चयनित जनपदों के चयनित लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण/गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जिसमें पान शोध केन्द्रों के वैज्ञानिक, पान विशेषज्ञ, भारत सरकार की संस्थाओं के पान विशेषज्ञों को अवश्य बुलाया जाये। पान की खेती हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार-प्रसार हेतु साहित्य की व्यवस्था भी शोध केन्द्रों पर करायी जायेगी।

अनुदान धनराशि का भुगतान-

अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से चयनित लाभार्थी/कृषक को उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

अनुश्रवण-

1. योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी, जिससे समय से प्रगति सूचना निदेशालय स्तर से संकलित हो सके एवं उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करायी जा सके। वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रगति सूचना भेजते समय लाभार्थी सूची तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
2. कार्यक्रम की सफलता के लिये समय-समय पर कृषक प्रक्षेत्रों का निरीक्षण/सत्यापन, लाभार्थी कृषकों द्वारा पान बरेजा निर्माण में लगायी गयी सामग्री निर्धारित मानक की अनुरूपता तथा दिये गये अनुदान की प्रक्रिया आदि का सत्यापन जनपद स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी, मण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान द्वारा नियमित समीक्षा/निरीक्षण किया जायेगा। राज्य स्तर से भी निदेशालय उद्यान लखनऊ अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापन/निरीक्षण कार्य किया जायेगा।

**प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत
लाभार्थी चयन हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप**

Photo

1	कार्यक्रम का नाम जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है-	
2	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स का नाम	
3	पिता का नाम-	
4	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स की श्रेणी- (सामान्य वर्ग/लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति)	
5	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स की शैक्षिक योग्यता एवं प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु अनुभव (यदि कोई हो)	
6	गांव का नाम-	
7	विकास खण्ड का नाम-	
8	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स के पास कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो)	
9	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रफल (है० में)	
10	खसरा संख्या-	
11	सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें-	
12	लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (कृषि फसलें/औद्योगिक फसलें)-	
13	लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (फल/शाकभाजी/मसाला एवं उनकी प्रजाति)	
14	लाभार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में अपेक्षित अन्य विवरण-	
15	चयनित कार्यक्रम के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित प्रतिबन्ध एवं शर्तों को माने जाने के स्वरूप निम्नानुसार प्रारूप पर लाभार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने का विवरण	

संलग्नक-1 जोतबही की प्रमाणित फोटोप्रति 2. अनुबन्ध पत्र

हस्ताक्षर कृषक

संस्तुति कर्ता

मैंने प्रस्तावित कृषक की भूमि का निरीक्षण किया है, जो.....कार्यक्रम के लिये
उपयुक्त है। आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर एवं चयन की संस्तुति की जाती है:-

सम्बन्धित वि०ख० के उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना

वर्ष 2016-17

शपथ-पत्र

(रु0 10/-के स्टाम्प पेपर पर)

में शपथीआयु.....वर्ष,
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी ग्राम.....
डाकखाना.....विकास खण्ड.....तहसील.....
जनपद.....शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूं/करती हूं।

1. यह की प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजनान्तर्गत प्रार्थी एक लाभार्थी है।
- 2- यह की प्रार्थी योजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से किया जायेगा तथा क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु प्राप्त सहायता धनराशि का निर्धारित व स्वीकृति मदां में ही व्यय किया जायेगा।
- 3- यह की प्रार्थी उक्त कार्य निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार सम्पन्न न किये जाने अथवा धनराशि का दुरुपयोग होने की दशा में स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 4- यह कि प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पन्न न होने पर प्राप्त अनुदान की धनराशि प्रार्थी द्वारा वापस की दी जायेगी।
- 5- यह की प्रार्थी द्वारा अनुदान की धनराशि वापस न करने पर जिलाधिकारी को प्रार्थी की चल-अचल से भू-राजस्व की भांति वसूली का आदेश होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सत्यापन

में शपथी उपरोक्त यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि शपथ-पत्र की धारा-1 से 5 तक सत्य एवं सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बनाकर सत्यापित किया।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना के
क्रियान्वयन हेतु माहवार समय सारिणी**

माह	कार्यक्रम
30 नवम्बर तक	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट www.upagriculture.com पर आन लाइन पंजीकरण कराना होगा, इसके लिए जन सुविधा केन्द्र, कृषक लोकवाणी, साइबर कैफे आदि के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
सितम्बर से नवम्बर	चयनित लाभार्थियों को निर्धारित शोध केन्द्र/ औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य।
जनवरी	चयनित लाभार्थियों द्वारा बरेजा निर्माण
फरवरी	पौध/ कटिंग रोपण का कार्य
मार्च	कृषक सूची दूरभाष न0 सहित, फोटोग्राफ, उपयोगिता प्रमाण पत्र, सफलता की कहानी आदि प्रपत्र निदेशालय को उपलब्ध कराना।

पान की खेती हेतु बरेजा निर्माण 1500 वर्गमीटर की अनुमानित लागत व देय अनुदान का विवरण

क्रम सं०	सामग्री का नाम	मात्रा / संख्या	इकाई लागत धनराशि (रु० में)	कृषक अंश (रु० में)	देय अनुदान (रु० में)
1.	बांस न०-1 (05 मी० लम्बा 05 से०मी० मोटा वाला)	800 बांस	24000	0	24000
2.	बांस न०-2 (04 मी० लम्बा 04 से०मी० मोटा वाला)	600 बांस	15000	0	15000
3.	सनौआ (सनई का तना) (04 सेमी० व्यास)	200 बंडल	10000	10000	0
4.	पुवाल घास (दवाई हेतु 25 सेमी० व्यास)	60 बंडल	3000	3000	0
5.	सूखी गन्ना पत्ती (1.5 ट्राली)	1.5 ट्राली	750	750	0
6.	बकौड़ा (पलाश की जड़) 100 से 125 से.मी. व्यास	10 बंडल	6000	6000	0
7.	सागौन की बल्ली (8 फिट 05 पीस प्रति बन्डल)	20 बंडल	12000	12000	0
8.	जी०आई०तार 12 गेज	15 किग्रा०	1350	1350	0
9.	जी०आई०तार 20 गेज	20 किग्रा०	1700	1700	0
10.	पावर स्प्रेयर मशीन (दवा छिड़काव हेतु)	01	2500	1250	1250
11.	पान बेल कटिंग (ढोली)	64 ढोली	23360	11680	11680
12.	उर्वरक/खली (तिल की खली, अरन्डी की खली, एन.पी.के.आदि)	100 किग्रा	2500	2350	150
13.	तालाब की काली मिट्टी (ट्राली में)	5 ट्राली काली मिट्टी	2000	2000	0
14.	सिंचाई हेतु इंजन (5 हार्स पावर)	01 सैट	23000	11500	11500
15.	अन्य व्यय (बरेजा निर्माण हेतु एग्रोनेट-1500 वर्ग मी०)	01सैट	20000	10000	10000
16.	रसायन/ वृद्धि नियामक (एन्डोफिल एम-45, ब्लार्डटाक्स, बोरोडेक्स मिक्सर, स्टेप्टोसाइक्लीन)		4200	2100	2100
	कुल योग		151360	75680	75680